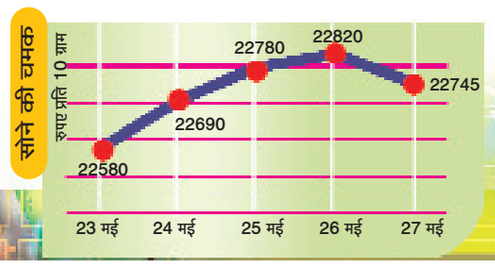

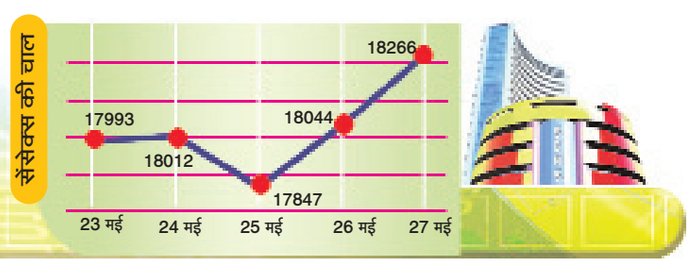

निवेश का सुरक्षित जरिया डाकघर

जोखिम के कारण बहुत सारे लोग अपनी रकम को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते। ऐसे लोगों के लिए डाकघर की वित्तीय योजनाएं बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें निवेश की गई धनराशि पर निश्चित और नियमित रूप से रिटर्न मिलता है। ये योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। जाहिर तौर पर इनमें निवेश की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है

■ देवेन्द्र शर्मा

भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश करने की इच्छा हर किसी इंसान की होती है। इसकी शुरुआत करने के लिए लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर निवेश कहां और कैसे किया जाए? दरअसल देश के एक बड़े वर्ग के लिए इक्विटी, डेट, बांड, म्यूचुअल फंड और डीमैट जैसे शब्द अब भी किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। ऐसे लोगों को प्रायः अपनी रकम डूबने का भय रहता है। निवेश के लिए यह लोग ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जहां उनकी रकम पूरी तरह सुरक्षित रहे और उस पर नियमित और निश्चित रिटर्न मिलता रहे। लोगों की इस कसौटी पर भारतीय डाकघर पूरी तरह खरा उतरता है।

देश के दूरदराज के इलाकों में जहां बैंक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं, वहां डाकघर बचत और निवेश की तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। देश के प्रमुख डाकघरों में बैंकों से मिलती-जुलती बचत खाते, सावधि जमा (एफडी), बांड, आवर्ती जमा, मासिक आय जैसी जमा योजनाएं मौजूद हैं। यही नहीं डाकघर से बीमा और आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए परंपरागत और आकर्षक उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाकघर के वित्तीय उत्पाद सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही खरीदे जाते हैं। ये उत्पाद शहरों में भी खासे लोकप्रिय हैं। नियमित आय और सुरक्षित निवेश के लिए खासकर वरिष्ठ नागरिक अपनी रकम को डाकघरों में ही जमा कराना पसंद करते हैं। यहां पेश है डाकघर की प्रमुख वित्तीय योजनाओं का ब्योरा-

मासिक जमा योजना

आम बोलचाल की भाषा में इस योजना को एमआईएस (मंथली इनकम स्कीम) के नाम से जाना जाता है। इसमें जमा रकम पर नियमित ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में मिलने वाली ब्याज, बोनस एवं निवेश की न्यूनतम और अधिकतम राशि में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है। फिलहाल इस योजना में न्यूनतम 1500 रुपए और इसके गुणांक में अधिकतम 4.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश की अवधि छह साल है। इस रकम पर आठ फीसद वार्षिक की दर से ब्याज मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 1,50,000 रुपए जमा कराता है तो उसे 1000 रुपए प्रतिमाह ब्याज के रूप में मिलेंगे। छह साल बाद मूल रकम के साथ 7500 रुपए बोनस के रूप में और मिलेंगे। इस स्कीम के तहत देय ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।

आवर्ती जमा योजना

इस योजना को आरडी (रिकरिंग डिपॉजिट) के नाम से जाना जाता है। इसकी परिपक्वता अवधि पांच साल है। इस योजना में न्यूनतम 10 रुपए और उसके पांच रुपए के गुणांक में निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इसमें निवेश के लिए अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं हैं। इस रकम पर 7.5 फीसद की दर से ब्याज मिलता है जिसकी गणना तिमाही आधार पर की जाती है। इस योजना में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए मासिक जमा कराता है तो उसे मैच्योरिटी के समय 72890 रुपए मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर एक साल बाद जमा रकम में से 50 फीसद राशि की निकासी की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति छह या एक साल की किस्त अग्रिम जमा कराता है तो उसे छूट मिलती है। ग्रामीण इलाकों में बचत के लिए यह योजना सबसे ज्यादा लोकप्रिय है।

निश्चित रिटर्न के लिए डाकघर की योजनाएं बेहतर विकल्प हैं। इनमें निवेश की गई रकम पर कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन महंगाई दर से तुलना करें तो यह रिटर्न काफी नहीं है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी रकम को सिर्फ डाकघर की योजनाओं में ही नहीं लगाना चाहिए

पंकज शर्मा, हेड, टारगेट मनी कंट्रोल डाट काम

सावधि जमा योजना

डाकघर की सावधि जमा (एफडी) योजना देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाओं की तरह की कार्य करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको अपनी रकम डाकघर में जमा करानी होती है। इस रकम के एवज में आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसमें जमा राशि, निवेश की अवधि और नॉमिनी आदि का ब्योरा दर्ज होगा। इस योजना में न्यूनतम 200 रुपए की रकम जमा कराई जा सकती है। इसके लिए दो से पांच साल के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। हालांकि इस रकम को मामूली पेनाल्टी देकर एक साल बाद भी निकाला जा सकता है। एक साल से पहले धन की निकासी पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। डाकघर की सावधि जमाओं पर इस समय ब्याज की दरें 6.25 से लेकर 7.50 फीसद तक है। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है।

बचत खाता

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों में जाकर बचत खाता खुलवाने का चलन काफी पुराना है। केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने के बाद से डाकघर के बचत खाते का महत्व काफी बढ़ गया है। दरअसल कई राज्यों में भुगतान में हेराफेरी रोकने के उद्देश्य से मजदूरों का पैसा सीधे बचत खातों में ट्रांसफर किया जाता है। सरल प्रक्रिया और महज 50 रुपए की पूंजी के साथ यह खाता आसानी से खुलवाया जा सकता है। इस खाते में अधिकतम रकम जमा करने की सीमा एक लाख रुपए है। देश के वाणिज्यिक बैंकों की तरह डाकघर में चेकबुक और नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी ग्राहक जब चाहे अपना खाता देशभर में कहीं ही ट्रांसफर करा सकता है। डाकघर के बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज कर मुक्त होती है।

वरिष्ठ नागरिक जमा योजना

यह सेवानिवृत्ति के बाद आमदनी के लिए सबसे अच्छी योजना है जिसे खासकर नौकरी से रिटायर होने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष) इस योजना में 1000 रुपए के साथ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें निवेश की अधिकतम राशि 15 लाख रुपए है। इस रकम पर सालाना नौ फीसद की दर से ब्याज मिलता है जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। इस योजना में निवेश की अवधि पांच साल है। यदि कोई व्यक्ति पांच लाख रुपए निवेश करता है तो उसे 11,250 रुपए प्रति तिमाही ब्याज के रूप में मिलेंगे। यदि किसी खाते पर एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार रुपए से ज्यादा ब्याज मिलता है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है।

इसके अलावा लंबी अवधि के लिए डाकघर की बचत योजनाओं में राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) और किसान विकास पत्र (केवीपी) प्रमुख हैं। एनएससी की खरीदारी किसी भी डाकघर से की जा सकती है। इसमें 100 रुपए के साथ निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इसकी कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। इस पर सालाना आठ फीसद ब्याज मिलता है जिसकी गणना छमाही आधार पर होती है। इसकी परिपक्वता अवधि छह साल है। केवीपी में निवेश धन आठ साल सात महीने में दोगुना हो जाता है। इस योजना में निवेश की गई रकम पर 8.4 फीसद की दर से ब्याज मिलता है। इस योजना में भी 100 रुपए के साथ निवेश की शुरुआत की जा सकती है। एनएससी और केवीपी में निवेश की गई रकम पर धारा 80सी के तहत आयकर में छूट मिलती है।

सावधानी बरतें

डाकघर की योजनाओं में निवेश पर किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं हैं। देशभर में डाकघर से जुड़े एजेंटों का विशाल नेटवर्क है। कुछ एजेंट आवर्ती जमाओं जैसी योजनाओं की रकम निवेशक की पासबुक में दर्ज कर देते हैं लेकिन उसे डाकघर में जमा नहीं कराते। खाताधारक को मैच्योरिटी के समय धोखाधड़ी का पता चलता है। टारगेट मनी कंट्रोल के प्रमुख पंकज शर्मा कहते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए किसी भी खाताधारक को सिर्फ एजेंट पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को पानी में डुबो सकती है। ऐसे में जमाकर्ता को नियमित अंतराल पर डाकघर में जाकर अपनी जमा राशि की पड़ताल करते रहना चाहिए।

सवाल-जवाब

फायदेमंद हो सकता है बैलेंस्ड फंड में निवेश

बाजार की मौजूदा चाल को देखते हुए बैलेंस्ड फंड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है लेकिन इसमें निवेश करने से पहले फंड मैनेजर के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेना बेहतर होता है। कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कोई भी निवेशक फंड मैनेजर के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। निवेश से पहले यह भी देख लें कि आपका फंड मैनेजर बाजार में कितना सक्रिय है

मुकेश गुप्ता, एमडी
वेल्थकेयर सिक्योरिटीज

मौजूदा माहौल में क्या इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल कर बैलेंस्ड फंड में लगा देना चाहिए?

रीतेश दीक्षित, लखनऊ

इक्विटी मार्केट की एकतरफा चाल खत्म हो चुकी है। पिछले साल नवम्बर के बाद बाजार में ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। जब बाजार में इस तरह का माहौल हो तो इक्विटी मार्केट की तुलना में बैलेंस्ड फंड में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बैलेंस्ड फंड में निवेश की कुल रकम का 35 फीसद डेट में निवेश होता है। इस वजह से बाजार की गिरावट में भी निवेश पर ज्यादा असर नहीं होता और जब बाजार में तेजी हो तो 65:35 के रेशियो को बरकरार रखना होता है इसीलिए मुनाफा वसूली अपने आप होती रहती है।

बैलेंस्ड फंड में निवेश करते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या फंड मैनेजर के बारे में जानना जरूरी है ?

अदिति सिंह, दिल्ली

फंड मैनेजर के बारे में जितना हो सके जानकारी जुटा लें। यह देख लें कि फंड मैनेजर ने मार्केट के कितने चक्र देखें है। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फंड मैनेजर के बारे में जान सकते हैं। निवेश करने से पहले यह देख लें कि फंड मैनेजर कितना सक्रिय है। सक्रिय होने का मतलब है कि मार्केट की तेजी में क्या इक्विटी का हिस्सा 65 फीसद बरकरार रखा जाता है। क्या समय-समय पर मुनाफा वसूली कर ली जाती है या इक्विटी रेशियो बढ़कर 70 से 80 फीसद तक हो जाता है। चार्जेज पर भी नजर रखना चाहिए।

मैं एक लाख रुपए पांच साल के लिए निवेश करना चाहता हूं। किस बैलेंस्ड फंड में निवेश करना सही रहेगा ?

मोहित जैन, भोपाल

अगर रिटर्न के लिहाज से देखें तो एचडीएफसी का प्रूडेंस, बिरला सन लाइफ 95 और डीएसपीबीआर में निवेश किया जा सकता है। इन कंपनियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।

मेरी उम्र 38 साल है। मैं 15 लाख रुपए के बीमा कवर का टर्म प्लान लेना चाहता हूं। 2500 रुपए के सालाना प्रीमियम में किस कंपनी का टर्म प्लान मिल जाएगा ?

जावेद, पटना सिटी

2500 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 15 लाख रुपए का कवर तो मुश्किल है। लेकिन 3500 रुपए के प्रीमियम से आपको आईसीआईसीआई का टर्म प्लान मिल जाएगा। आप कई दूसरी वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं।

डीटीसी के मुताबिक करें टैक्स प्लानिंग

■ दीपू राय

पहली अप्रैल 2012 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होने तय हैं। इसे डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) कहा जाता है। इसका मतलब कि अभी जो वित्तीय साल चल रहा है यह मौजूदा नियमों का अंतिम साल है। इसलिए अभी टैक्स बचाने के लिए जो लोग निवेश कर रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी कि आखिर आगे उनका टैक्स कितना बचेगा। अभी कानून सामने नहीं आया है लेकिन संसोधित ड्राफ्ट के हिसाब से संभावित टैक्स प्लानिंग पर नजर डालना जरूरी है।

आम आदमी का सवाल है कि अगर नया टैक्स नियम लागू होता है तो पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे निवेश का क्या होगा? क्या इस साल एसआईपी के जरिए शुरू किए गए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले म्यूचुअल फंड पर अगले तीन साल तक पैसा जमा करने पर टैक्स छूट मिलेगी? क्या पीपीएफ या ईएलएसएस स्कीम के परिपक्व या मैच्योर होने पर मिलने वाली रकम पहले की तरह टैक्स फ्री होगी?

संशोधित डायरेक्ट टैक्स कोड का असर

	मौजूदा कानून 1961	संशोधित ड्राफ्ट कोड
हाउस (रेंट) प्रॉपर्टी	बाजार के हिसाब से रेंट पर टैक्स	वास्तविक रेंट पर टैक्स
शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (शेयर, MF)	15%	इनकम में शामिल
लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (शेयर,MF)	माफ	इंडेक्शेसन के बाद डिडक्शन फिर टैक्स
लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (प्रॉपर्टी)	20%	इनकम का हिस्सा माना जाएगा
रिटायरमेंट बेनिफिट (VRS, LTA, ग्रेच्युटी)	टैक्स नहीं	टैक्स नहीं
निकासी पर टैक्स (PPF/बीमा/एन्युटी)	कोई टैक्स नहीं	टैक्स नहीं
होम लोन का ब्याज	(सालाना ₹1.5 लाख टैक्स फ्री)	कुल ₹3 लाख (निवेश का हिस्सा)

पीएफ

डीटीसी यानी इनकम टैक्स के नए नियमों के बारे में दूसरा संशोधित ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इस ड्राफ्ट में पीएफ के बारे में साफ कहा गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। टैक्स एक्सपर्ट गिरीश आहुजा का कहना है कि आज आप 70 हजार रुपए पीएफ में जमा करते है तो 15 साल बाद मैच्योरिटी पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह नया डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने के बाद भी पीएफ की मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा।

ईएलएसएस

ईएलएसएस पर ड्राफ्ट में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ड्राफ्ट से इतना संकेत जरूर मिल रहा है कि एक अप्रैल, 2012 से पहले किए गए निवेश से मिली मैच्योरिटी तो टैक्स फ्री होगी लेकिन उसके बाद जो निवेश होगा उस पर टैक्स लगेगा।

इंश्योरेंस

अभी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किए जाने वाले निवेश पर अधिकतम एक लाख रुपए तक की छूट मिलती है। डायरेक्ट टैक्स कोड ड्राफ्ट के मुताबिक अब केवल उन्हीं इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर टैक्स की छूट मिलेगी जिसका प्रीमियम कुल बीमा कवर के पांच फीसद या इससे कम हो।

डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में दो सब लिमिट बना दी गई है। कुल डेढ़ लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स छूट है लेकिन इसे दो हिस्से में बांटने का प्रस्ताव है।

पहला हिस्सा- स्वीकृत फंडों पर एक लाख रुपए तक की टैक्स छूट। जिसमें न्यू पेंशन स्कीम, पीएफ, सुपर एनुएशन और ग्रेच्युटी शामिल है।

दूसरा हिस्सा- लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों की ट्यूशन फीस पर 50 हजार रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी।

अब ऑनलाइन देखिए ईपीएफ खाता

सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का पैसा उनके जीवन भर की कमाई होती है जो रिटायरमेंट के बाद काम आती है लेकिन सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के अपने ईपीएफ खाते में कितना धन है, इसे जानने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कर्मचारी को एम्पलाई प्रॉविडेंट फंड की हर पल ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। इससे कर्मचारी को यह भी पता चल सकेगा कि उसका एम्प्लायर वेतन में से काटा गया पैसा उसके ईपीएफ खाते मे जमा कर रहा है अथवा नहीं

■ देवेन्द्र वर्मा

आपका एम्पलायर आपके एम्प्लाई प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) की रकम में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है? इस बात का पता अब आप आसानी से लगा सकते हैं। एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जिससे कोई भी कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। तीन महीने के भीतर यह सुविधा शुरू जाएगी।

अक्सर खबरें आती हैं कि फलां कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों के ईपीएफ का पैसा हजम कर गया। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ईपीएफओ ने सभी ईपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में ईपीएफओ देश भर के अपने 120 क्षेत्रीय प्रॉविडेंट फंड कार्यालयों को एक साथ जोड़ने के काम में जुट गया है। बाद में सभी कार्यालयों को सेंट्रल सर्वर के जरिए इसकी वेबसाइट से जोड़ दिया जाएगा। यह काम सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही पीएफ खातों को भी अपडेट करने का काम जारी है। ईपीएफओ ने हर रोज 1,000 खातों को अपडेट करने का टारगेट रखा है। एक बार सभी खातों के अपडेट हो जाने के बाद दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी कर्मचारी अपने खाते को ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। अकाउंट की जानकारी हासिल करने लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए बॉक्स में अकाउंट नंबर और रीजनल ऑफिस का नाम टाइप करना होगा। फिर आपके अकाउंट का पूरा ब्योरा कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर हो जाएगा।

ईपीएफओ अधिकारियों का कहना है कि पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी कर्मचारी को अपने ईपीएफ खाते को लेकर कोई शिकायत है तो वह रीजनल ऑफिस में शिकायत कर सकता है। उसकी शिकायत पर रीजनल ऑफिस तुरंत कार्रवाई करेगा।

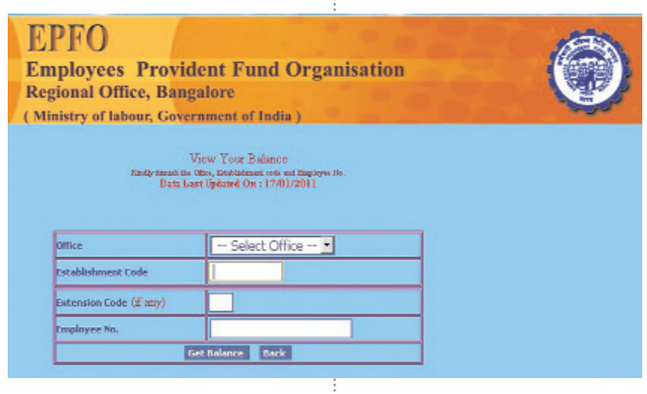

ऑनलाइन सुविधा के फायदे

भारत में पीएफ को बचत के सबसे सुरक्षित तरीकों में गिना जाता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के आभाव में किसी कर्मचारी के लिए यह पता लगाना काफी कठिन काम है कि उसका पैसा सुरक्षित है या नहीं। उसकी सैलरी से जो रकम काटी जा रही है उसे उसके एकाउंट में जमा किया जा रहा है या नहीं ? अब ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों के लिए अपने अकाउंट को ट्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। कंपनियां भी ईपीएफ के पैसे में गड़बड़ी करने से बचेंगी। ईपीएफ एकाउंट होल्डर की कॉमन शिकायत रहती है कि अकाउंट के बारे कोई जानकारी मांगने पर ईपीएफओ से जवाब ही नहीं मिलता। अब नई सुविधा से इस समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो जाने की उम्मीद है।

क्या चाहते हैं कर्मचारी

ईपीएफओ देश के करीब छह करोड़ कर्मचारियों के तीन लाख करोड़ रुपए का प्रबंधन करता है। लेकिन कर्मचारियों को इसके कायदे-कानून को लेकर काफी शिकायतें हैं। कर्मचारी अगर नौकरी बदलता है तो उसे ईपीएफ के पैसे के लिए अपने पुराने एम्पलायर के पास जाना होता है। कर्मचारी का पुराना अकाउंट बंद हो जाता है और नई कंपनी के साथ नया अकाउंट खुलवाना होता है। कर्मचारी चाहते हैं कि ईपीएफ अकाउंट के लिए भी एक यूनिक नंबर दिया जाए जो उनके पूरे करियर के दौरान काम करे। यानी नौकरी बदलने के साथ ही ईपीएफ अकाउंट भी नए एम्पलायर के पास चला जाए और अकाउंट बंद कराने की नौबत नहीं आए।

हालांकि इस दिशा में भी ईपीएफओ काम कर रहा है। यूनिक आईडेंटिटी नंबर की तरह ईपीएफ अकाउंट के लिए भी यूनिक नंबर देने पर काम चल रहा है। सूचना के इस युग में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है ईपीएफओ खुद को बदलने में काफी देर कर रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहावत की तर्ज पर कह सकते है कि ईपीएफओ का यह कदम दूरगामी साबित होगा। कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को अब कोई कंपनी आसानी से नहीं पचा पाएंगी।

डिस्कलेमर : ये महज सुझाव हैं। निवेशक अपने विवेक व समझ से निवेश करें। पैसा वसूल में आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल। pv लिखकर स्पेस दें और 59090 पर SMS करें।